



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली की इकाई
नया पी.पी.ओ. नं.
पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (पेंशनर का नाम) पिता/पति का नाम
जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या का धारक है, देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

स्थान
दिनांक:
हस्ताक्षर पेंशनर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मुहर के

नियोजित होने / नहीं होने का प्रमाण-पत्र

- (क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने केन्द्र / राज्य सरकार के किसी विभाग में या केन्द्र / राज्य सरकार की किसी कम्पनी, निगम, उपक्रम, स्वशासी निकाय, कानूनी निकाय, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति या किसी संस्था में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं रहा / रही हूँ।
(ख) मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजन स्वीकार किया है तथा परिलब्धियां रूपये प्राप्त हुई है।

स्थान... ..
दिनांक:

हस्ताक्षर पेंशनर

पुनर्विवाह / विवाह न करने का प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गत छह माह में विवाह नहीं किया है / मेरा विवाह नहीं हुआ है।
या
मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी घटना की सूचना देने लिए मैं प्रतिवचन देता / देती हूँ।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर पेंशनर

मैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर उक्त घोषणा को सही होने के रूप में प्रमाणित करता/करती हूँ।

स्थान:
दिनांक:

उत्तरदायी अधिकारी या सुविधित व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम:
पद:

पेंशनर का नाम	दम्पति का नाम
पेंशनर का पता	दम्पति का पता
पेंशनर का मोबाइल नं.	दम्पति का मोबाइल नं.
पेंशनर का ईमेल	दम्पति का ईमेल
पेंशनर का आधार संख्या.....	दम्पति का आधार संख्या.....
पेंशनर का पेन कार्ड संख्या.....	दम्पति का पेन कार्ड संख्या.....

नोट: 1. कृपया पेंशनर व दम्पति के आधार व पेन कार्ड की प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. कृपया पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर 26 नवम्बर, 2024 तक जीवित प्रमाण पत्र संस्थापन शाखा में जमा कराये अन्यथा नियमानुसार देय पेंशन रोकने संबंधी कार्यवारी कार्यालय द्वारा की जायेगी।

mu